घोषणा/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3
(घोषणा-प्रकोष्ठ)
संख्या:मुमस/ 182/चौंतीस-3/अधि0/घो0/2010
लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2010

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं/शिलान्यासों के कियान्वयन एवं समीक्षा के सम्बन्ध में यह देखने में आ रहा है कि कतिपय विभागों द्वारा घोषणाओं/शिलान्यासों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने, घोषणाओं को पूर्ण माने जाने, पूर्ति हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने तथा घोषणाओं/शिलान्यासों का स्वरूप परिवर्तन किये जाने हेतु विभागीय पत्रावलियों में प्रस्ताव मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। यह स्थिति पूर्व में मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3 (घोषणा-प्रकोष्ठ) के परिपत्र संख्या- मुमस/128/चौंतीस-3/अधि0/2008, दिनांक 21.05.2008 एवं मुमस/200 /चौंतीस-3/अधि0/2008, दिनांक 30.06.2008 के अनुकूल नहीं है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं/शिलान्यासों के कियान्वयन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने, पूर्ति, पूर्ति हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने तथा घोषणाओं/शिलान्यासों का स्वरूप परिवर्तन/संशोधन आदि किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागीय पत्रावलियों को सीधे मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत न किया जाये बल्कि इसके स्थान पर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अनिवार्य रूप से स्वयं अपने हस्ताक्षरों से मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3 (घोषणा-प्रकोष्ठ) के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर उक्त प्रयोजनार्थ अनुरोध किया जाये, जिसमें घोषणाओं के कियान्वयन की अद्यतनीकृत स्थिति के उल्लेख के साथ ही साथ सुसंगत निर्गत शासनादेशों, विभागीय संस्तुतियों, टिप्पणियों के सुसंगत उद्धरण की प्रतिलिपियों भी संलग्न कर उपलब्ध कराया जाय।

3. मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3 (घोषणा-प्रकोष्ठ) द्वारा उन आश्वासनों के परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त घोषणाओं/शिलान्यासों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने तथा घोषणाओं/शिलान्यासों का स्थल परिवर्तन/संशोधन आदि किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्णयार्थ घोषणा प्रकोष्ठ की पत्रावलियों में प्रस्तुत किया जाता। प्रकरण में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा लिये गये निर्णय से घोषणा-प्रकोष्ठ द्वारा सम्बन्धित विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

4. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।

संख्या: मुमस/182(1)/चौंतीस-3/अधि0/घो0/2010,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, समस्त प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।
4. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, मुख्य मंत्री।
5. मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3 (घोषणा-प्रकोष्ठ)।

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।